(106)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवसन विभाग

क्रमांक :– प.3(146)नविवि/3/2010 दिनांक 26.05.2010

परिपत्र

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007 के अन्तर्गत पारित सम्परिवर्तन आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर सपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जाने और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समवृहत किये जाने का प्रावधान है। इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि उक्त 2 वर्षो की अवधि को नियम 14 के तहत् एक वर्ष की अवधि के लिए Next Higher Authority द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

समय–समय पर विकास प्राधिकरण व नगर सुधार न्यास के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी होती रहती है एवं बढ़ते हुए क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे भी सम्मलित हो जाते है, जिनमें सम्परिवर्तन राजस्व एजेन्सी द्वारा पूर्व में किया जा चुका होता है। इस प्रकार के मामलों में अग्रिम कार्यवाही किस प्रकार की जावें, इस संबध में विभाग में प्रकरण प्राप्त होते रहते है, जिन पर विचार किया गया। उक्त नियम, 2007 के अन्तर्गत सम्परिवर्तित ऐसी भूमियां जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों, नगरपालिका/परिषद/निगम क्षेत्रों के विस्तार के साथ नगरीय क्षेत्र/मास्टर प्लान क्षेत्र/मास्टर डवलपमेंट प्लान क्षेत्र में सम्मिलित हो चुकी है तथा नियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि का सम्परिवर्तित प्रयोजनार्थ 2 वर्ष की समयावधि में उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसी भूमियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे –

1. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007 के अन्तर्गत सम्परिवर्तित ऐसी भूमि जिनका निर्धारित 2 वर्ष की अवधि में सम्परिवर्तित प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है, उन प्रकरणों को मान्यता प्रदान करते हुए केवल बाह्य विकास शुल्क इस विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप वसूल किया जावे।
2. ऐसे प्रकरण जिनमें 2 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा इस कारण से उनका सम्परिवर्तन अप्रभावी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में 90बी के तहत् कार्यवाही की जाए तथा उनसे नगरीय विकास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना में भू–सम्परिवर्तन शुल्क (Land Conversion Charges) तथा बाह्य विकास शुल्क (E.D.C.) वसूल किया जाए।

ह0
(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव